न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/22

1. मांगीलाल आत्मज श्री श्रीलाल ।
2. नन्दबिहारी आत्मज श्रीलाल जाति नाई निवासीगण ग्राम बनियानी तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

----अपीलान्ट

बनाम

1. ओगडी लाल आत्मज श्री जडावचन्द ।
2. बिरधीलाल आत्मज श्री जडावचन्द जाति गुर्जर निवासीगण ग्राम बनियानी तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील लाडपुरा जिला कोटा।

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री हेमेन्द्र सिंह आसावत, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 05.08.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय) कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.06.2017 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 92ए एवं 188 के अन्तर्गत ग्राम बनियानी तहसील लाडपुरा जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 877 रकबा 0.12 हैक्टर, खसरा नम्बर 878 रकबा 0.22 हैक्टर, खसरा नम्बर 879 रकबा 0.28 हैक्टर कुल रकबा 0.62 हैक्टर भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि उक्त भूमि पर वादीगण का काब्जा उनके पिता के जीवनकाल से ही 50 वर्षों से निरन्तर चला आ रहा है । प्रतिवादीगण ने उक्त भूमि को कभी भी काश्त नहीं किया है । वादीगण वादग्रस्त आराजी पर कब्जा मुखालफाना के

आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी हो गये हैं । प्रतिवादीगण कम 1 व 2 का राजस्व रिकॉर्ड में नाम अंकित होने से वे वादीगण को उनके कब्जे काश्त की आराजी से बेदखल करने पर आमादा हैं ।

3. अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी का वादीगण को कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदार घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड से वादीगण का नाम बहैसियत खातेदार दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण का नाम हटाया जावे एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करें । उक्त कृत्य न तो प्रतिवादीगण स्वयं करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.06.2017 के द्वारा वादीगण का वाद खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.06.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट वादीगण ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किये बिना ही सरसरी तौर पर अपीलान्ट का वाद खारिज कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय ने आगामी तारीख पेशी के पूर्व ही समस्त अपीलान्ट को सूचना दिये बिना ही दिनांक 19.06.2017 को तारीख पेशी नियत कर लोक अदालत में निर्णय पारित कर दिया । प्रतिवादीगण की ओर से कोई काउन्टर क्लेम भी पेश नहीं किया गया फिर भी वादग्रस्त आराजी प्रतिवादीगण पर प्रतिवादीगण को कब्जा दिये जाने के आदेश पारित किये हैं जो न्याय के प्राकृति सिद्धान्तों के विपरीत हैं । सीपीसी की पालना नहीं की गई । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.06.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में अपनी ओर से पैरवी करने हु अधिवक्ता नियुक्त किया हुआ था अपीलान्ट के अधिवक्ता व अपीलान्ट को उक्त प्रकरण लोक अदालत में रखे जाने की कोई सूचना नहीं दी गई । रेस्पोडेन्ट कम 1व 2 द्वारा वादग्रस्त आराजी पर कब्जा लेने आने व उक्त अपीलाधीन निर्णय की जानकारी देने पर दिनांक 29.06.2017 को सर्वप्रथम जानकारी प्राप्त हुई जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण अपीलान्ट ने एक दावा वादग्रस्त आराजी के बाबत् कब्जा मुखालफाना के आधार पर पेश किया था । अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में पक्षकारों की अनुपस्थिति में वादीगण का वाद खारिज कर दिया । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । वादग्रस्त आराजी पर वादीगण अपीलान्ट का पिछले 50 वर्षो से कब्जा चला आ रहा है । अधीनस्थ न्यायालय ने आगामी तारीख पेशी के पूर्व ही समस्त अपीलान्ट को सूचना दिये बिना ही दिनांक 19.06.2017 को तारीख पेशी नियत कर लोक अदालत में निर्णय पारित कर दिया । प्रतिवादीगण की ओर से कोई काउन्टर क्लेम भी पेश नहीं किया गया फिर भी वादग्रस्त आराजी प्रतिवादीगण पर प्रतिवादीगण को कब्जा दिये जाने के आदेश पारित किये हैं जो न्याय के प्राकृति सिद्धान्तों के विपरीत हैं । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.06.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

9. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होत हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

10. अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली साक्ष्य वादी में लम्बित थी । दिनांक 02.06.2017 को दिनांक 19.06.2017 की तारीख लोक अदालत के लिए नियत की गई । दिनाक 19.06.2017 को उभय पक्षकारान में से कोई भी पक्षकारान की उपस्थिति दर्ज नहीं की गई है और लोक अदालत के नोटिस अपीलान्ट को जारी किये गये हों इसका साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है और इसी दिन गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करते हुए वादीगण का वाद खारिज किया है । पक्षकारान के मध्य किसी प्रकार का कोई राजीनामा नहीं हुआ है ।

11. लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करे । इसके अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत गुणावगुण के आधार निर्णय पारित करना होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

12. यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत प्रकरण में प्रतिवादीगण की ओर से कोई काउन्टर क्लेम प्रस्तुत नहीं किया गया है फिर भी वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण को कब्जा दिये जाने के आदेश पारित किये हैं जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत हैं।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.06.2017 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का अपना स्पष्ट विवेचन करते हुए सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 06.09.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

14. निर्णय आज दिनांक 05.08.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

5/8/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा